प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.11.2024

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा रेलगाड़ी की खिड़की व दरबाजे पर बैठकर फोन पर बात करने / फोन चलाने वाले यात्रियों के साथ झपट्टा मारकर फोन छिनैती की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिफ्तार, कब्जे से छिनैती के 04 मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 21.11.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना पर रेलगाड़ी की खिड़की व दरबाजे पर बैठकर फोन पर बात करने/फोन चलाने वाले यात्रियों के साथ झपट्टा मारकर फोन छिनैती की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त अमजद पुत्र युसुफ निवासी सैक्टर 4 झुग्गी झोपडी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता गांव कटपाल थाना मनीहा जिला कटिहार बिहार उम्र करीब 19 वर्ष को कनावली पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से छिनैती के 04 मोबाइल फोन बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्त अजमद पुत्र युसुफ निवासी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त अमजद द्वारा अर्थला अंडर पास के ऊपर गाजियाबाद से दिल्ली व दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली वाली रेलगाडी में खिड़की व दरबाजे पर फोन चलाने व फोन पर बात करने वाले यात्रियों के साथ झपट्टा मारकर व डण्डे की सहायता से फोन को नीचे गिरा देता है। इसके बाद फोन उठाकर आस पास के लोगों को सस्ते दामों में बेच देता है। अभियुक्त से बरामद 04 मोबाइल फोन छिनैती के ही है। इन सभी को अर्थला अंडर पास के ऊपर आने जाने वाली रेलगाडियों के खिड़की व दरवाजे पर चलाने वाले व्यक्तियों से छिन्ना है। जिसे बेचने की फिराक में इधर उधर घूम रहा था

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

अमजद पुत्र युसुफ निवासी सैक्टर 4 झुग्गी झोपडी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता गांव कटपाल थाना मनीहा जिला कटिहार बिहार उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरणः

- कब्जे से छिनैती के 04 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः

- गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

- थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चाकू मारकर हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.11.2024 को वादी श्री रमेश कुमार महतो पुत्र श्री देवन महतो निवासी ग्राम दुबहा थाना सकरा जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार हाल पता भट्टा न0 5 रोड श्रीराम हाईट सोसाईटी के गेट न0 1 सामने नूर शांति नगर थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद ने सूचना दी कि दिनांक 21.11.24 को मैं, मेरा भाई महेश कुमार महतो व कुछ अन्य साथी अपने घर के घर के सामने आग ताप रहे थे तभी रूपेश ने आकर गाली गलौच करने लगा तभी मेरे भाई महेश ने गाली गलौच का विरोध किया तो रूपेश ने महेश के ऊपर चाकू से वार किया और भाग गया। महेश बुरी तरह घायल हो गया तत्काल महेश को जिला एमएमजी अस्पताल भर्ती कराया गया जहाँ दौराने ईलाज महेश की मृत्यु हो गयी। जिस पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया, दिनांक 22.11.24 को मुखबिर की सूचना के आधार पर हनुमान चौक नन्दग्राम क्षेत्र से अभियुक्त रूपेश पुत्र चन्द्रिका महतो निवासी ग्राम अतरसन थाना रसुलपुर जिला छपरा बिहार हाल निवासी गलि नं0 06 नुर शांति नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त से पूछताछ पर बताया कि साहब मैं मजदूरी करता हूँ मेरे साथ जिला छपरा बिहार का ही रहने वाला सौरव काम करता था सौरव के मुझ पर कुछ पैसे उधार थे तो मैं उसे पैसे देने के लिए उसके घर जा रहा था रास्ते में महेश महतो व दो –तीन अन्य लोग आग जलाकर ताप रहे थे। मैंने थोडी सी शराब पी रखी थी मैने इन्हें रास्ते में बैठे रहने के कारण गाली गलौच कर दी थी। महेश महतो ने गाली देने से मना किया तो मैने गुस्से में आकर अपने साथ में लिये चाकू महेश को मार दिया था। और वहाँ से भाग गया था। आज मैं वापस बिहार जाने की फिराक में था कि आपने पकड लिया।

अभियुक्त का नाम व पता-

रूपेश पुत्र चन्द्रिका महतो निवासी ग्राम अतरसन थाना रसुलपुर जिला छपरा बिहार हाल निवासी गलि नं0 06 नुर शांति नगर थाना नन्दग्राम गाजियवाद उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

एक चाकू आलाकत्ल

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 कॉपर की प्लेट (वजन करीब 26.5 किलो) बरामद।

दिनांक 20.11.2024 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर एक तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की स्कूटी पर रखे कॉपर प्लेट के प्लास्टिक के कट्टे को चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरे, मैनुअल इनपुट आदि की मदद ली गयी।

तत्पश्चात दिनांक 21.11.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त 1. मो० नबाज पुत्र मो० जुनेद निवासी नवावपुरा थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 2. जफर पुत्र सुबराती निवासी नवावपुरा थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 3. फुरकान पुत्र सराफत अली निवासी गली न० साढे बाईस म0न0 डी 132 थाना दयालपुर मुस्तफाबाद दिल्ली, उम्र करीब 19 वर्ष को लावण्या मैरिज होम गुलाब वाटिका से गिरफ्तार किया गया। कब्जे

से उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित 05 कॉपर की प्लेट(वजन करीब 26.5 किलो)बरामद हुई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि साहब यह कॉपर धातु की प्लेटे हम तीनो ने मिलकर बलराज नगर के पास सहारनपुर रोड पर खड़ी स्कूटी से चुराई थी । आज इन प्लेटो को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में यहां आये थे कि आपने हमें पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता –

1 मो० नबाज पुत्र मो० जुनेद निवासी नवावपुरा थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

2. जफर पुत्र सुबराती निवासी नवावपुरा थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

3. फुरकान पुत्र सराफत अली निवासी गली न० साढे बाईस म0न0 डी 132 थाना दयालपुर मुस्तफाबाद दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

चोरी की 05 कॉपर की प्लेट (वजन करीब 26.5 किलो बरामद)

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का एक मोबाइल फोन, 3500/- रुपये बरामद ।

दिनांक 10.11.2024 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर एक तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर से जेवरात व 30 हजार नकदी आदि चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया । घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरे, मैनुअल इनपुट आदि की मदद ली गयी ।

तत्पश्चात दिनांक 21.11.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त 1. छविकांत उर्फ विक्की पुत्र स्व0 विपिन कुमार मूल निवासी अमृतसर पंजाब हाल निवासी डॉ0 बंगाली का किराये का मकान मूवी मैजिक सिनेमा के पास, डी ब्लाक इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष व 2. हर्ष कुमार उर्फ हर्षित पुत्र रामकुमार निवासी निवासी बंसल स्कूल के पास, डी ब्लाक इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को लालबाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । कब्जे से एक मोबाइल फोन व 3500 रुपये बरामद हुए । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि साहब यह मोबाइल फोन हम दोनों ने मिलकर बंसल स्कूल के पास स्थित D ब्लाक इन्द्रापुरी लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के विजयपाल सिंह के मकान से रात्रि मे चोरी किया था तथा मोबाइल के अतिरिक्त जेवरात भी चोरी किये थे, जेवरात तो हमने 10-12 दिन पहले नंदनगरी दिल्ली में ज्वैलर्स को 51 हजार रुपये के बेच दिये थे उन्ही गहने की रकम के बचे हुए पैसे जो हमारे पास से आपने बरामद किये है, बाकी हमने अपने शौक में खर्च कर दिये है, तथा यह मोबाईल हमने बेचने का प्रयास किया परन्तु अभी तक बेच नही पाये थे कि आपने हमे पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता –

1. छविकांत उर्फ विक्की पुत्र स्व0 विपिन कुमार मूल निवासी अमृतसर, पंजाब हाल निवासी डा0 बंगाली का किराये का मकान मूवी मैजिक सिनेमा के पास, डी ब्लाक इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष
2. हर्ष कुमार उर्फ हर्षित पुत्र रामकुमार निवासी निवासी बंसल स्कूल के पास, डी ब्लाक इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

चोरी की घटना से संबंधित एक मोबाईल फोन सैससंग कंपनी व कुल 3500 रुपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।